

:: मूल वाद में डिक्री ::
(आदेश 20 नियम 6-7 जा.दी.)

राजस्व लोक अदालत कैम्प सिदड़ियास तहसील व जिला भीलवाड़ा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी:- सुनिता यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :-35/2018 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- 1-श्री बजरंग लाल पिता भैरूलाल बोहरा (पालीवाल), उम्र बालिग निवासी सिदड़ियास
- 2-श्री शिवनारायण पिता भैरूलाल बोहरा (पालीवाल), उम्र बालिग निवासी सिदड़ियास
- 3-श्री अरुण कुमार पिता भैरूलाल बोहरा(पालीवाल), उम्र बालिग निवासी सिदड़ियास
- 4-श्रीमति चन्द्रकला पत्नि श्री भैरूलाल बोहरा(पालीवाल) उम्र बालिग, निवासी सिदड़ियास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) -----वादीगण

बनाम

- 1-श्री श्यामलाल पिता नंदा जाट, उम्र बालिग निवासी सिदड़ियास तहसील भीलवाड़ा
- 2-श्री शंकरलाल पिता नंदा जाट, उम्र बालिग निवासी सिदड़ियास तहसील भीलवाड़ा
- 3-श्रीमति फूमा पत्नि नंदा जाट, उम्र बालिग निवासी सिदड़ियास तहसील भीलवाड़ा
- 4-फूला पुत्री भैरू जाट, उम्र बालिग निवासी सिदड़ियास तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 5-नारायण पुत्री भैरू जाट, उम्र नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमति गमान पत्नि भैरू जाट, उम्र बालिग निवासी सिदड़ियास तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 6-लीला पुत्री भैरू जाट, उम्र नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमति गमान पत्नि श्री भैरू जाट, निवासी सिदड़ियास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 7-पूजा पुत्री भैरू जाट, उम्र नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमति गमान पत्नि श्री भैरू जाट, निवासी सिदड़ियास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 8-श्रीमति गमान पत्नि भैरू जाट, उम्र बालिग निवासी सिदड़ियास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 9-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा -----प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से श्री लादूलाल तेली, एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की ओर से श्री - एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 21.5.2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि - और इस मद के खर्च लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि - को दी जायें।

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सिदड़ियास पटवार हल्का सिदड़ियास तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी 58, 59, 67, 68, 93 कुल किता 5 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा भूमि में से आराजी नम्बर 58, 67, 68 कुल किता 3 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा के (उत्तर-पश्चिम होने) पर से प्रतिवादीगण को बेदखल किये जाने का

34/2018

आदेश दिया जाता है। उसी अनुसार प्रतिवादीगण को बेदखल करते हुए वादीगण को कब्जा सिपुर्द करें। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।

(सुनिता यादव)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी,

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 21.5.2018 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी

की गयी ।

उपखण्ड अधिकारी,

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा